वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा–डी–तीन–10154 / 584 दिनांक : 6/6/2023

सेवा में

उप–वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.0219 ha. of Forest land for access to IOCL Retail Outlet on Naraingarh-Kala Amb road (NH-72 at KM 38.178 (LHS), village Naraingarh, Tehsil Naraingarh, under Forest Division and Disitrict Amabal, Haryana.
(Online Proposal No. FP/HR/Approach/147895/2021)

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 9-HRB003/2023-CHA दिनांक 23.03.2023 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी स्टेज–I स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :–

1. मद् संख्या 2(A) (i) से (v) अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा सी0ए0 स्कीम एवं एन0पी0वी0 गणना शीट अनुसार कुल 254356 / – रू0 की राशि परिवेश पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट करके जमा करवाई जा चुकी है। ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस paid है तथा ऑनलाईन कर्रवाई भी पूर्ण कर दी गई है।
2. मद् संख्या 2(A) से (vi) अनुसार एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड कर दी गई है।
3. मद् संख्या 2(A) से (vii) अनुसार वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग की प्रति संलग्न है।
4. मद् संख्या 2(A) से (viii) अनुसार सी0ई0ओ0 स्टेट केम्पा द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग की प्रति संलग्न है।

इसके अतिरिक्त स्टेज–I स्वीकृत के मद् संख्या 2B की शर्तों अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग की प्रति भी संलग्न है तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज–II स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

संलग्न / उपरोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(वन बल प्रमुख)
हरियाणा, पंचकुला।

30/5/23
30/5/2023

OFFICE OF
CHIEF EXECUTIVE OFFICER,
HARYANA CAMPA (STATE AUTHORITY)

VAN BHAWAN, C-18, SECTOR-6, PANCHKULA, HARYANA Tel: +91 172 2563977, Fax: +91 172 2563861, E-mail: haryanacampa@gmail.com Website: campa.haryanaforest.gov.in

No. CAMPA/ 198 **Dated:-** 25/05/2023

To

Deputy Director General of Forest (Central),
MoEF & CC, Integrated Regional Office,
Chandigarh.

Subject: **Diversion of 0.0219 ha of Forest land for access to IOCL Retail Outlet on Naraingarh-Kala Amb road (NH-72) at KM 38.178 (LHS), village Naraingarh, Tehsil Naraingarh, under Forest Division and District Ambala, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/147895/2021).**

Ref: **Your letter No. 9-HRB-003/2023-CHA dated March, 2023.**

The requisite undertaking is as under:-

Undertaking

This is to state that Compensatory Afforestation and Addl. Compensatory Afforestation scheme amount, received from User agency will be made available to the concerned DFO within one year of the sanction of the FCA case.

Chief Executive Officer,
CAMPA (State Authority),
Haryana, Panchkula.

Endst. No. CAMPA/ 199-201 Dated: 25/05/2023

A copy is forwarded to

1. Additional Principal Chief Conservator of Forest (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Haryana, Panchkula in reference to their letter No. FCA/451 dated 25-05-2023 for information and necessary action.
2. Conservator of Forests, North Circle, Ambala for necessary action.
3. Divisional Forest Officer, Ambala is directed to include the above site in the APO for next year 2024-25.

Chief Executive Officer,
CAMPA (State Authority),
Haryana, Panchkula.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग)
पानीपत मण्डल कार्यालय
पानीपत मार्केटिंग काम्पलैक्स, गांव बहोली
डाकघर : पानीपत रिफाइनरी
जिला : पानीपत (हरियाणा) - 132 140
दूरभाष : 0180-2578633, 2578632 फैक्स : 0180-2578625

Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
Panipat Divisional Office
Panipat Marketing Complex, Vill. Baholi
Post Office : Panipat Refinery
Distt. Panipat (Haryana) - 132140
Phone : 0180-2578633, 2578632 Fax : 0180-2578625

विपणन प्रभाग
Marketing Division

Ref. No. - PDO/RS/Naraingarh

Dated- 25/04/2023

Project Name - Diversion of 0.0219 ha. Forest land for access to proposed IOCL Retail Outlet situated on Naraingarh-Kala Amb Road (NH-72) at KM 38.178 (LHS), village Naraingarh, Tehsil Naraingarh under forest division & district Ambala, Haryana.

(Online Proposal No. FP/HR/Approach/147895/2021)

यह पत्र संदर्भ संख्या 9-HRB003/2023-CHA दिनांक 23/03/2023 के संदर्भ में है तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैं प्रबंधक (रिटेल सेल्स), पानीपत मंडल कार्यालय, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने डायवर्जन के लिए आवेदन किया है जोकि ग्राम बरोता, जिला सोनीपत पर आइओसीएल के रिटेल आउटलेट तक पहुँचने के लिए है ।
मैं वचन देता हूँ कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा ।

(i) वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पौधे काटे जायेंगे और वन्यजीवों को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा । प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों पौधों की संख्या 10 से अधिक नही होगी और कोई भी पौधे नही काटे जायेंगे।

(iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

(iv) जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिये प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी ।

(v) इस प्रस्ताव को 20 वर्षो के लिये अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी ।

(vi) पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोडकर 1.0 से 1.5 मीटर के अंतराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये ।

Vipin Kumar
25/04/2023
विपिन कुमार
प्रबन्धक (खुदरा बिक्री)
विपणन प्रभाग
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
पानीपत मण्डल कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय : जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्वी), मुम्बई - 400 051 (भारत)
Regd. Office : G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (East) Mumbai - 400 051 (India)

(vii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहुँच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पोधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा

(viii) साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे ।

(ix) स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।

(x) केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा ।

(xi) कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा ।

(xii) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है ।

(xiii) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी ।

(xiv) इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन सरंक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarification), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी ।

(xv) यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेशआदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

Vipin Kumar 25/04/2023

प्रबंधक (रिटेल सेल्स),
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
पानीपत मंडल कार्यालय

विपिन कुमार
प्रबन्धक (खुदरा बिक्री)
विपणन प्रभाग
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
पानीपत मण्डल कार्यालय

1/40077/2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,चंडीगढ़ /**Integrated Regional Office, Chandigarh**

सत्यमेव जयते

F.No.:- 9-HRB003/2023-CHA दिनांक: **March, 2023**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ।
(acforest@hry.nic.in)

विषय: **Diversion of 0.0219 ha of Forest land for access to IOCL Retail Outlet on Naraingarh-Kala Amb road (NH-72) at KM 38.178 (LHS), village Naraingarh, Tehsil Naraingarh, under Forest Division and District Ambala, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/147895/2021)**

संदर्भ: (i) State Government's Online Proposal No. क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10154/2294 dated 21.12.2022.
(ii) State Government's Compliance Letter No. D-III-10154/3448 dated 06.03.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0219** हेक्टेयर वनभूमि के उपयोग के लिए **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

V/A

i. प्रयोक्ता एजेंसी से **CA** स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।

ii. **WP (C) No. 202/1995, IA No. 566** में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि **0.0219** हेक्टेयर की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iii. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।

iv. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।

v. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीएलागत, एनपीवी, आदि) वेबपोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है| अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I Clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा|

बेज नं.24-25, सेक्टर-31 ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

I/40077/2023

xv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xvi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xvii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

xviii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्तवन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा| ***केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा |***

Signed by Raja Ram Singh
Date: 23-03-2023 21:15:32

भवदीय
हस्ता/-
(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन,जोरबाग़, अलीगंज, नई दिल्ली। (ramesh.pandey@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Ambala, Haryana. (dfo.amb-hry@nic.in)
4. Indian Oil Corporation Limited (MD), Panipat Divisional Office, Panipat Marketing Complex, Village Baholi, Post Office Panipat Refinery, Distt Panipat, Haryana132140. (ioclpdo1102@gmail.com)

बेज नं.24-25, सेक्टर-31 ए,चंडीगढ़-160030 /Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email: ronz.chd-mef@nic.in

वन विभाग, हरियाणा सरकार ।
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला शहर ।
फौरेस्ट काम्पलैक्स, कम्पनी बाग, विकास विहार के सामने, अम्बाला शहर, दूरभाष 0171—2550916

क्रमांकः 80

दिनांकः 17/4/23

सेवा में

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकूला।

विषयः **Diversion of 0.0219 Ha. of forest land for access to IOCL Retail outlet on Naraingarh-Kala Amb road (NH-72) at KM 38.178 (LHS), Village Naraingarh, Tehsil Naraingarh Distt. Ambala, under Forest Division & Distt. Ambala, Haryana. Proposal No. FP/HR/Approach/147895/2021.**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ के पत्र कमांक 9-HRB003/2023-CHA दिनांक 23.03.2023 द्वारा सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि 177290/—रु0, नेट प्रजेन्ट वाल्युम 20975/—रु0, मृदा एवं नमी सरंक्षण चार्जिस 53187/—रु0 फैलिंग चार्जिग 2904/—रु0, की राशि सहित इस प्रकार कुल राशि 254356/—रु0 जमा करवा दी गई है।

2. प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा इस केस की कुल राशि 254356/—रु0 दिनांक 01.04.2023 को हरियाणा कैम्पा A/C No. 1506970147895886 Union Bank of India. FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers. Mission Road, Bengaluru-560027 में ओनलाईन जमा करवा दी गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

Description	Amount Received	Deposited
CA & Fencing Charges	177290.00	Online deposited 01.04.2023 A/C No. 1506970147895886 Union Bank of India, FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers. Mission Road, Bengaluru-560027
Additional C.A Charges	0.00	
Net Present Value (NPV)	20975.00	
Penal NPV	0.00	
Felling Charges	2904.00	
Penal C.A	0.00	
Other (Soil & Moisture)	53187.00	
Total	**254356.00**	

(1) प्रोफार्मा नं0 2 भरकर व चालान की प्रति साथ संलग्न भेजी जाती है।
(2) मद संख्या A (VI) के अनुसार मांगा गया FRA Certificate की मूल प्रति इस कार्यालय के पत्र कमांक 1130 दिनांक 29.08.2022 द्वारा आपके कार्यालय को भेज दिया गया है। जिसकी प्रति साथ संलग्न है।
(3) मद संख्या A (VII) के अनुसार वन मण्डल अधिकारी द्वारा दी जाने वाली अण्डरटेकिंग साथ संलग्न है।

संलग्न/यथोपरि

वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला।

पृ0कमांकः दिनांकः

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला शहर को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला।

PERFORMA-II

1	State /Distt./Forest Division to which the proposal relates.	Haryana/Ambala Forest Division, Ambala.
2	Name of User Agency, nature of proposal	Diversion of 0.0219 Ha. of forest land for access to IOCL Retail outlet on Naraingarh-Kala Amb road (NH-72) at KM 38.178 (LHS), Village Naraingarh, Tehsil Naraingarh Distt. Ambala, under Forest Division & Distt. Ambala, Haryana.Proposal No. FP/HR/Approach/147895/2021.
3	Extent of forest area involved	0.0219 Ha.
4	Whether original, or extension	Original
5	If extension of lease, please clarify if proposal Involved additional forest area, and if so specify.	NA
6	Date of 1st stage clearance	9HRB003/2023-CHA Dated 23.03.2023
7	Amount realized : (in Rs.) 254356/-	
	(a) Compensatory Afforestation:	177290/-
	(b) Additional CA:	-
	(c) Penal CA:	-
	(d) Catchment Area Treatment:	-
	(e) Wildlife Management Plan:	-
	(f) Additional Charges for diversion of area falling Under notified/protected areas:	-
	(g) Net Present Value:	20975/-
	(h) Any other charges/Soil & Moisture Conservation Charges:	53187/-
	(i) Felling Charges:	2904
	(j) Penal NPV:	-
	(k) Total 254356/-	
8	Details of Bank Drafts (Bank, Draft No., Date & Amount), head-wise against items indicated in paragraphs 7 above	By Online (NEFT/RTGS) A/C No. 1506970147895886 dt. 01.04.2023 Rs. 254356/-
9	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars &	By Online (NEFT /RTGS) UTR. No.- HDFR 52023011197604971
	Date of remittance:	dt. 01.04.2023
10	Bank in which deposited, with Union Bank of India, FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 date of deposition.	A/C No. 1506970147895886 Dated 01.04.2023
11	Any other remarks.	-

Date:

Divisional Forest Officer
Ambala Forest Division
Ambala

Divisional Forest Officer,
Ambala Forest Division,
Ambala

Undertaking

Subject: **Diversion of 0.0219 Ha. of Forest land for Access to the Proposed Retail Outlet of IOCL on Naraingarh Kala Amb Road (NH-72) Km 38.178 (LHS) at Village Naraingarh Tehsil Naraingarh Distt. Ambala under Forest Division & Distt. Ambala, Haryana.**

Approved CA Site of the above Proposal will not be changd without the approval of Competent authority.

Divisional Forest Officer
Ambala Forest Division
Ambala

Divisional Forest Officer,
Ambala Forest Division,
Ambala.

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-04-2023

Agency Name.	IOCL PANIPAT DIVISIONAL OFFICE
Application No.	70147895886
MoEF/SG File No.	9-HRB003-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	Indian Oil Corporation Limited (MD), Panipat Divisional Office, Panipat Marketing Complex, Village Baholi, Post Office Paniapt Refinery, Distt Panipat (Haryana)Panipat
Amount(in Rs)	254356/-

Amount in Words :Two Lakh Fifty-Four Thousand Three Hundred and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970147895886 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-04-2023

Agency Name.	IOCL PANIPAT DIVISIONAL OFFICE
Application No.	70147895886
MoEF/SG File No.	9-HRB003-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	Indian Oil Corporation Limited (MD), Panipat Divisional Office, Panipat Marketing Complex, Village Baholi, Post Office Paniapt Refinery, Distt Panipat (Haryana) Panipat
Amount(in Rs)	254356/-

Amount in Words :Two Lakh Fifty-Four Thousand Three Hundred and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506970147895886 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR No-HDFCR 52023011197604971

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006.

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/ Diversion of 0.0219 Ha. of forest land for access to IOCL Retail outlet on Naraingarh-Kala Amb road (NH-72) at KM 38.178 (LHS), Village Naraingarh, Tehsil Naraingarh Distt. Ambala, under Forest Division & Distt. Ambala, Haryana in Ambala District/Forest Division falls within jurisdiction of Naraingarh,village (s) in Tehsil Naraingarh. (s).

It is certified on the basis of report of Divisional Forest Officer that the forest land which is proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and on the basis of certificate issued by SDM, Naraingarh & Divisional Forest Officer, Ambala is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001and the Census-2011.

Signature	Signature District Collector AMBALA
(Full name and official seal of Forests Ambala Forest Division Deputy Conservator of Forest) Ambala	(Full name and official seal of the District Collector)